

# Bharatiya Janata Party

(Central Office)  
11, Ashok Road, New Delhi – 110001  
Tel : 23005700; Fax : 23005787

तारीख : 03 फरवरी, 2014

## भाजपा की राष्ट्रीय प्रवक्ता श्रीमती निर्मला सीतारमन द्वारा जारी प्रेस वक्तव्य

कांग्रेस पार्टी कोई मौका गंवाए बिना श्री नरेन्द्र मोदी, गुजरात भाजपा और गुजरात सरकार को निशाना बनाने का बहाना ढूँढती रहती है। इस बार भी बिना किसी तैयारी के उसने एक ऐसा मुद्दा उठाया जो खत्म हो चुका था, इससे कांग्रेस की अपनी विफलता उजागर होती है।

आमदनी अथवा खर्च के आधार पर गरीबी के स्तर का पता लगाना— पूरी तरह से केन्द्र सरकार का काम है। यहां तक कि यदि केन्द्र सरकार द्वारा संशोधित दरें दी जाती हैं, तो भी राज्य सरकारों को संशोधित मानक अपनाने का तब तक अधिकार नहीं है जब तक केन्द्र में सम्बद्ध विभाग इस बारे में कोई निर्देश जारी नहीं करता। शहरी/ग्रामीणों के लिए प्रति व्यक्ति आमदनी क्रमशः 501 / 324 रुपये महीना दिखाने वाले आंकड़े सरकार द्वारा 2004 में तय मानकों के अनुसार हैं; भारत सरकार द्वारा तय मानकों के अनुसार यह जानकारी गुजरात के खाद्य और नागरिक आपूर्ति विभाग ने दी है। ये मानक गुजरात सरकार ने तय नहीं किए हैं। सिर्फ आमदनी ही नहीं, बल्कि अन्य सम्पत्तियों, जैसे टेलीविजन, रेडियो अथवा साइकिल के आधार पर गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले लोगों का पता लगाया जाता है। इसे परिसम्पत्ति आधारित मानक कार्य पद्धति कहा जाता है।

केन्द्र सरकार के परिसम्पत्ति आधारित मानक के आधार पर गुजरात में केवल 21 लाख परिवार गरीबी रेखा के नीचे आते हैं। हांलाकि इस आंकड़े में वह सभी लोग शामिल नहीं हैं जिन्हें इस श्रेणी में आना चाहिए। गुजरात सरकार इस मानक को आगे बढ़ाते हुए अपने खर्च पर गरीबी रेखा से नीचे 11 लाख और परिवारों को लाई। दूसरे शब्दों में 11 लाख परिवारों को गुजरात सरकार से पूरी सहायता के साथ अनाज मिल रहा है। यानी कुल 32 लाख परिवार हैं जिनमें से केवल 21 लाख परिवारों को लाभ मिल रहा है। गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम को प्रभावकारी तरीके से लागू करने के रूप में उच्चतम न्यायालय ने इस दृष्टिकोण की सराहना की थी।

2004 के बाद गुजरात सरकार ने केन्द्र सरकार को अनेक अनुरोध भेजे जिनमें गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले लोगों के मानकों में तत्काल संशोधन करने की जरूरत बताई गई थी लेकिन इन पत्रों पर किसी ने ध्यान नहीं दिया। इन मानकों में बदलाव किये बिना समिति पर समिति बनती गई और अब 10 वर्ष हो चुके हैं। अगर श्री नरेन्द्र मोदी योजना आयोग का ध्यान आकर्षित करते हैं तो यह भी 10 वर्ष पुराना अनुरोध है जिसे अनसुना किया गया है।

कांग्रेस पार्टी ने जितने खराब तरीके से गुजरात के मुख्यमंत्री की आलोचना करनी शुरू कर दी, उसे सोचना चाहिए था कि कड़ी आलोचना तो उसकी होनी चाहिए। भाजपा को

उम्मीद है कि गुजरात सरकार उन सभी तारीखों को सामने रखेगी जब—जब उसने इन मानकों की समीक्षा के लिए केन्द्र सरकार के पास स्मरण पत्र भेजे थे।

## बदनाम करने का अधिकार और झूठ का अधिकार

आम आदमी पार्टी किसी जगह पर बुरी दृष्टि से टकटकी बांधकर देख रही है। यह एक ऐसा अधिकार लगता है जो संविधान ने इस देश में किसी को भी प्रदान नहीं किया है। उन्होंने वैकल्पिक राजनीति देने के नाम पर खुद को बदनाम करने और अपने विरोधियों पर गलत आरोप लगाने का मौलिक अधिकार अधिकार दिया है। विश्वसनीयता, पहचान और तत्काल ध्यान आकर्षित करने की चाहत में हताश होकर वह भाजपा के कुछ प्रमुख नेताओं के नाम लेने से भी नहीं हिचकिचा रही है। यह पूरी तरह निंदनीय है कि एएपी के नेता भाजपा के जिन नेताओं का जिक्र कर रहे हैं, उनके खिलाफ पर्याप्त सबूतों के साथ वह अपनी बात साबित नहीं कर पा रहे हैं। इससे यह साफ होता है कि यह बदनाम करने वाले, झूठे और नुकसान पहुंचाने वाले आरोप हैं।

एएपी को उस भ्रष्ट कांग्रेस का सहारा लेने में जरा भी संकोच नहीं हुआ, जिसे उसने चोर कहा था, और दिल्ली के मुख्यमंत्री ने अपने बच्चों की कसम खाकर कहा था कि वे कांग्रेस के समर्थन से सरकार नहीं बनाएंगे लेकिन उन्होंने इतनी बड़ी पलटी मारी है।

- भ्रष्ट कांग्रेस की सहायता से वह सत्ता में हैं
- भ्रष्ट लोगों की सूची में उनकी शीला दीक्षित का नाम डालने की हिम्मत नहीं होती
- अभी तक एएपी कांग्रेस और उसके नेतृत्व के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं कर पाई है। वह लोगों से सबूत मांग रही है।
- दिल्ली में बिजली मंहगी हो रही है। एएपी के वादों का क्या हुआ?
- दिल्ली में दूध मंहगा हुआ है। कांग्रेस और एएपी को जवाब देना चाहिए कि दिल्ली में ऐसा क्यों हो रहा है।
- उगांडा के नागरिकों के घरों पर धावा बोलने वाली एएपी कहां है? पूर्वोत्तर में हमारे भाइयों का समर्थन करते समय वे कहां गायब थे?

भाजपा एएपी को याद दिलाना चाहती है कि उसे दिल्ली की शासन व्यवस्था पर ध्यान देना चाहिए। एक फैन्सी सूची के साथ प्रेस कान्फ्रेंस कर देने और बिना सबूत के झूठे दावे करने से सुशासन नहीं हो सकता। इस नई सरकार के आने के बाद दिल्ली के लोग असहाय महसूस कर रहे हैं।

इंजी. अरुण कुमार जैन  
कायालिय सचिव